आ. एन. 35646/79
Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05
लाइसेंस संख्या 24 - बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए. भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

285
अप्रैल
2003

बैंकिंग

खरीफ ऋणों पर ब्याज में आंशिक छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श करके खरीफ फसल ऋणों पर आंशिक ब्याज में छूट योजना के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं।

यह योजना, जो *खरीफ फसल ऋण पर ब्याज में छूट योजना, सूखा, 2002* कहलाएगी, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के खरीफ 2002, फसल ऋणों पर लागू है और यह 18 दिसंबर 2002 से आरंभ हो गयी है।

खास-खास बातें

(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक खरीफ फसल ऋणों पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में देय ब्याज इस तरह से आस्थगित करेंगे कि ब्याज चुकौती की पहली किस्त आस्थगित ब्याज का 20 प्रतिशत हो। आस्थगित ब्याज की इस किस्त को एक बारगी उपाय के रूप में पूर्णत: छूट दी जानी है। बैंकों द्वारा छूट दिये जानेवाले आस्थगित ब्याज की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

(ii) उधार देनेवाली बैंक की शाखा को पात्र ऋण निर्धारित करने और आस्थगित ब्याज की पहली किस्त में छूट देने की स्वीकृति के अधिकार होंगे। इस संबंध में किसी भी विवाद का निपटान बैंक के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है। उधार देनेवाली संबंधित बैंक शाखा उधारकर्ता के उचित ऋण/पास बुक में ब्याज में ऐसी छूट पृष्ठांकित करें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जारी पास बुक को भी समुचित रूप से पृष्ठांकित किया जाएगा।

(iii) पहले वर्ष के दौरान वसूल किये जानेवाले आस्थगित ब्याज की पहली किस्त के रूप में, आस्थगन के पहले वर्ष के लिए आस्थगन ब्याज के 20 प्रतिशत की सीमा तक, उसके बराबर की राशि, पात्र ऋणों में जमा की जाएगी। सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक से राशि प्राप्त होने तक यह राशि खरीफ ऋण, सूखा, 2002 से संबंधित ब्याज छूट योजना के अंतर्गत सरकार से प्राप्य खाते में रखी जाएगी। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रधान कार्यालय समेकित दावा तैयार कर सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करेंगे। यह राहत की राशि के बारे में, सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया होना चाहिए। सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक, छानबीन करने के बाद, पात्र ऋणों पर ब्याज में दी गयी छूट के बराबर की पूरी राशि का भुगतान बैंक को यथाशीघ्र करेगा।

परिभाषाएं

योजना के प्रयोजन के लिए कतिपय मदों की निम्नानुसार परिभाषाएं की गयी हैं:

फसल ऋण : कैलेण्डर वर्ष 2002 के खरीफ मौसम के दौरान किसानों द्वारा फसल उगाने हेतु लिये गये अल्पावधि उत्पाद/फसल ऋण।

सूखे से प्रभावित राज्य: वे राज्य जहां खरीफ फसल उपज सामान्य उपज से 50 प्रतिशत या कम होगी और जहां सक्षम प्राधिकारी ने *आनावारी* घोषित की है।

उधारकर्ता: प्रत्येक किसान जिसने खरीफ 2002 फसल उगाने की गतिविधि के लिए एक या उससे अधिक बैंकों से ऋण लिया था।

पात्र ऋण: वर्ष 2002 के खरीफ मौसम के दौरान फसलें उगाने हेतु प्रत्येक किसानों द्वारा लिये गये अल्पावधि उत्पाद/फसल ऋण।

नाबार्ड, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की खरीफ 2002, फसल ऋणों पर ब्याज छूट योजना इसी नमूने पर तैयार करेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

माननीय वित्त मंत्री ने तत्कालीन राज्य वित्त मंत्री श्री अनंत गीते की अध्यक्षता में ग्रामीण ऋण से संबंधित मुद्दों पर *ग्रामीण ऋण से संबंधित मुद्दों पर समिति* का गठन किया था। समिति से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह छोटे और सीमांत किसानों को ऋण तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की कार्य प्रणाली पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण कृषि ऋणों से संबंधित मुद्दों की जांच करे। समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकों से निम्नलिखित कार्रवाइयां शुरू करने की अपेक्षा की गयी है:

किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए लिया गया समय: किसान क्रेडिट कार्ड मिलने के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी बैंक शाखाओं में सुस्पष्ट रूप से दर्शायी जानी चाहिए। पूर्णत: भरे हुए आवेदनों के मामले में आवेदन प्राप्त होने के 10/15 दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने चाहिए।

बचत बैंक खाता: किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बचत-बैंक खाता खोलना कोई पूर्व शर्त नहीं है।

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा का निर्धारण: फसल ऋणों की स्वीकृति के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऋण सीमाएं निर्धारित की जायें।

न्यूनतम सीमा: योजना के अंतर्गत व्यापक कवरेज की सुविधा के लिए 5000 रुपये से कम की सीमा के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
बैंकिंग	
खरीफ ऋणों पर ब्याज में आंशिक छूट	1
किसान क्रेडिट कार्ड योजना	1
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2
गारंटियां और सह-स्वीकृतियां	2
अंतर-शाखा खाते - प्रावधान करना	2
शहरी बैंक	
शाखाएं बंद करना	2
निदेशक मंडलों की लेखा-परीक्षा समिति	3
नीति	
विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट : स्पष्टीकरण	3
भारतीय संयुक्त उद्यमों (जेवी) विदेश में पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) को ऋण सुविधाएं प्रदान करना	3
विदेशी मुद्रा	
अस्थायी विदेशी मुद्रा खाते	3
विशेष आर्थिक अंचलों (एसईजेड) की इकाइयों को सुविधाएं	4
अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियों पर प्रतिफल की दर	4

नकदी का आहरण: बैंक अपने विवेक पर ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए अन्य पदनामित शाखाओं के ज़रिये लेनदेनों की सुविधा दे सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए प्रभार: किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए प्रभार वास्तविक व्ययों के अनुरूप होने चाहिए और इसे आय के साधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड (लैमिनेटेड फोटो कार्ड) जारी करने के लिए 50 रुपये से अधिक की फीस नहीं ली जानी चाहिए।

सेवा प्रभार: 25000 रुपये तक के छोटे ऋणों के मामले में किसान क्रेडिट कार्ड पर कोई सेवा प्रभार या निरीक्षण प्रभार आदि न लगाये जाएं।

चक्रवृद्धि ब्याज लगाना: चालू देयताओं, अर्थात् फसल ऋण तथा प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में मीयादी ऋणों के लिए देय न हुई किस्तों पर ब्याज को चक्रवृद्धि नहीं किया जाना चाहिए।

परिपक्वता अवधि निर्धारण: अल्पावधि तथा मीयादी ऋणों के लिए अदायगी की समय अनुसूची उस समय के साथ मेल खानी चाहिए जब किसानों ने अपने उत्पाद बेच दिये हों और उसके हाथ में पैसे आ गये हों। फसल/उत्पाद के विपणन पर निर्भर करते हुए मूलधन की चुकौती और ब्याज की अदायगी उधारकर्ता के पास पैसों की उपलब्धता के साथ जोड़ी जानी चाहिए।

जमानती मानदंड: बैंक 10,000 रुपये तक के ऋणों के लिए अपने विवेकानुसार मार्जिन/जमानती आवश्यकताओं से संबंधित मामलों पर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों को और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के मद्देनज़र सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे वर्तमान में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अपने बकाया अग्रिमों के पहले के 40 प्रतिशत के लक्ष्य के बजाय 60 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें। साथ ही, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उसके अग्रिमों का न्यूनतम 25 प्रतिशत (अर्थात् कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत) समाज के कमज़ोर वर्गों को दिया जाना चाहिए।

संशोधित लक्ष्य वर्ष 2003-2004 से प्रभावी होंगे।

गारंटियां और सह-स्वीकृतियां

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि अब से बैंकों को अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली एजेंसियों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए उनके पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति दी जाए लेकिन इसके लिए उन्हें निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ेगा:

गारंटी देने वाले बैंकों के लिए शर्तें

(i) निदेशक-मंडल को बैंक की जोखिम प्रबंध प्रणाली की सुस्वस्थता/सुदृढ़ता को समझ लेना चाहिए और तदनुसार इस संबंध में एक सुव्यवस्थित नीति तैयार करनी चाहिए। निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए:

(क) बैंक की टीयर I पूंजी से संबद्ध विवेकपूर्ण सीमाएं, जिन तक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों के पक्ष में गारंटी जारी की जा सकती है।

(ख) प्रतिभूति और मार्जिनों का स्वरूप

(ग) अधिकारों का प्रत्यायोजन

(घ) रिपोर्टिंग प्रणाली

(ङ) आवधिक समीक्षाएँ

(ii) गारंटी केवल उधारकर्ता-घटकों के संबंध में उन्हें अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

(iii) गारंटी देने वाला बैंक गारंटीकृत ऋण सीमा के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर निधिक ऋण सीमा की जिम्मेवारी लेगा।

(iv) बैंकों को विदेशी ऋणदाताओं के पक्ष में गारंटी या आश्वासन-पत्र (लेटर ऑफ़ कम्फर्ट) उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। इसके अंतर्गत विदेशी ऋणदाताओं को समनुदेशित किए जाने वाली गारंटी या आश्वासन-पत्र शामिल माने जाएँगे (फेमा के अंतर्गत दी गई अनुमत छूट के अलावा)।

(v) बैंक द्वारा निर्गत की गई गारंटी ऋण लेने वाली उस संस्था के पक्ष में ऋण सीमा मानी जाएगी जिसकी ओर से गारंटी निर्गत की गई है तथा उनके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम-भार भी लागू होगा।

(vi) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी निर्गत करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके।

ऋण देने वाले बैंकों के लिए शर्तें

(i) अन्य बैंक/वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋण सीमा की जिम्मेवारी लेगा उसे गारंटी देने वाले बैंक/वित्तीय संस्था की ऋण सीमा माना जाएगा तथा उसके लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम-भार भी लागू होगा।

(ii) अन्य बैंकों द्वारा निर्गत गारंटी के आधार पर ऋण सुविधा के रूप में कोई बैंक जिस ऋण सीमा की जिम्मेवारी लेगा उसकी गणना निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई अंतर-बैंक ऋण सीमा के अंतर्गत की जाएगी। चूँकि अन्य बैंक/वित्तीय संस्था की गारंटी के आधार पर कोई बैंक जिस ऋण सीमा की जिम्मेवारी लेगा उसकी अवधि मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और प्रतिभूति बाजार में किए जाने वाले अंतर-बैंक लेनदेनों की जिम्मेवारियों की अवधि से लंबी होगी, इसलिए निदेशक मंडल को दीर्घावधिक ऋणों के मामले में एक उपयुक्त उप सीमा निश्चित कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे ऋणों के मामले में जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा होता है।

(iii) बैंकों को चाहिए कि गारंटी देने वाले बैंक/वित्तीय संस्था पर जिस ऋण सीमा की जिम्मेवारी पड़ती है, उस पर वे अनवरत नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि बैंकों के लिए निदेशक-मंडल द्वारा निश्चित की गई विवेकपूर्ण सीमाओं/उप सीमाओं का तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित की गई प्रति उधारकर्ता विवेकपूर्ण सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

(iv) बैंकों को घोष समिति की सिफारिशों तथा गारंटी स्वीकार करने से संबंधित अन्य अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए ताकि इस संबंध में धोखाधड़ी की संभावनाओं से बचा जा सके।

अंतर-शाखा खाते - प्रावधान करना

उत्कृष्ट बैंकिंग पद्धतियों का पालन करते हुए रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि अंतर-शाखा खातों में शुद्ध नामे जमा हेतु प्रावधान करने के लिए अनुमत अवधि को 31 मार्च 2004 को समाप्त होनेवाले वर्ष से एक वर्ष से घटा कर छह महीने किया जाये।

तदनुसार, बैंकों को अंतर-शाखा खातों में 31 मार्च 2004 को छह महीने से अधिक बकाया समाधान न की गयी प्रविष्टियों की श्रेणीवार शुद्ध स्थिति की गणना करनी चाहिए और सभी श्रेणियों के अंतर्गत कुल शुद्ध नामे के 100 प्रतिशत के बराबर प्रावधान करना चाहिए। ऐसा करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिये:

(i) ब्लॉक किये गये खाते में जमा शेष राशि पर भी विचार किया जाता है।

(ii) एक श्रेणी के अंतर्गत शुद्ध नामे राशि को दूसरी श्रेणी की शुद्ध जमा राशि के साथ समायोजित (सेट ऑफ) न किया जाये।

शहरी बैंक

शाखाएं बंद करना

यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी अलाभकारी शाखाओं/विस्तार पटलों को बंद करने की अनुमति दी जाये। इस तरह से शाखाएं बंद करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी:

(क) बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अंतर्गत किन्हीं निदेशों के अंतर्गत न रखा गया हो।

(ख) विस्तार पटलों/शाखाओं को बंद करने का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा सभी संबंधित कारणों पर विचार करने के बाद लिया जाए तथा निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही के आधिकारिक रिकार्ड में समुचित रूप से उसका उल्लेख दर्ज किया जाए।

(ग) बैंक को चाहिए कि -

(i) वह शाखा बंद करने से काफी समय पहले स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शाखा के मौजूदा सभी जमाकर्ताओं/ग्राहकों को इसकी उचित सूचना दे तथा साथ ही शाखा के प्रत्येक ग्राहक को परिपत्र भी जारी करे;

(ii) रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को बंद की गयी शाखा के लिए जारी मूल लाइसेंस/लाइसेंसों को लौटा दे;

(iii) बंद की गयी शाखा के परिसर के निपटान के बारे में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय सहकारी समितियों को सूचित करे;

(iv) शाखा को बंद करने के बाद उसी स्थान पर कोई विस्तार पटल न खोले;

(v) शाखा को बंद करने की तारीख से एक महीने के भीतर निदेशक मंडल के तत्संबंधी प्रस्ताव की प्रतियों सहित रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करे; और

(vi) सभी संबंधित रिकार्ड सुरक्षित रखे तथा निरीक्षण के दौरान उनकी जांच के लिए रिज़र्व बैंक निरीक्षण दल को उपलब्ध कराये।

रिज़र्व बैंक को कुछ शहरी बैंकों, विशेष रूप से *कमज़ोर बैंकों* से ऐसे विस्तार पटलों/शाखाओं को बंद करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे थे जो अलाभकारी हो गयी थीं तथा घाटे में चल रही थीं।

निदेशक मंडलों की लेखा-परीक्षा समिति

रिज़र्व बैंक ने बोर्ड के स्तर पर लेखा-परीक्षा समिति गठित करने तथा उनके कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों को जारी अपने पिछले अनुदेश समेकित किये हैं। समेकित अनुदेश इस प्रकार हैं :

(i) निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को बैंक के लेखा-परीक्षा संबंधी समस्त कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करना चाहिए तथा तत्संबंधी निर्देश देना चाहिए। लेखा-परीक्षा संबंधी समस्त कार्य में बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा का संगठन, उसका परिचालन तथा उसका गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक लेखा-परीक्षा तथा रिज़र्व बैंक के निरीक्षण पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

(ii) निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा संबंधी कार्य की समीक्षा करनी चाहिए जिसमें प्रणाली, उसकी गुणवत्ता तथा अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा शामिल हो सकती है। इसे आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों, विशेष रूप से *असंतोषजनक* शाखाओं तथा बैंक द्वारा अत्यधिक बड़ी शाखाओं के रूप में वर्गीकृत शाखाओं की आंतरिक निरीक्षण रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करनी चाहिए। समिति को निम्नलिखित पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए :

(क) अंतर-शाखा समायोजन खाते;

(ख) अंतर-शाखा खातों एवं अंतर-बैंक खातों में समायोजित न की गयी काफी समय से लंबित प्रविष्टियां;

(ग) विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान संबंधी शेष काम;

(घ) धोखाधड़ियां, और

(ङ) आंतरिक रख-रखाव के अन्य सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र

(iii) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सांविधिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों/समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों/भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपार्टों का अनुपालन किया जाता है;

(iv) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को गंभीर अनियमितताओं का पता लगाने में आंतरिक निरीक्षण अधिकारियों द्वारा की गयी चूक पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए;

(v) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को बैंक के खातों में ज्यादा पारदर्शिता तथा लेखा-संबंधी पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंक की लेखा-संबंधी नीतियों/प्रणालियों की आवधिक समीक्षा करनी चाहिये।

संयुक्त संसदीय समिति ने, जिसने शेयर बाज़ार घोटाले तथा इससे संबंधित मामलों की जांच की थी, अपने प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की थी कि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के निदेशक मंडलों की लेखा-परीक्षा समिति को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन तथा निरीक्षण रिपोर्टों की जांच करनी चाहिये तथा लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता पर अपनी टिप्पणी देनी चाहिए।

नीति

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट : स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक ने 11 नवंबर 2002 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों की स्थापना की योजना के बारे में सूचित किया था। भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंकों द्वारा कई तरह की पूछताछ की गयी थी जिनमें बैंकों ने योजना के विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे थे। रिज़र्व बैंक ने मामलों पर निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

(क) कोई पात्र बैंक एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट स्थापित कर सकता है। अलबत्ता, बैंक एक से अधिक ऑफशोर बैंकिंग यूनिट स्थापित कर सकते हैं, लेकिन एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं।

(ख) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों को अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में यूनिटों और विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ताओं को उधार देने की अनुमति होगी।

(ग) ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों को उनकी अधिशेष निधियों को भारत के बाहर निवेश करने की अनुमति संबंधित बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनायी गयी निवेश नीति के अधीन होगी।

(घ) ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों को अलग-अलग व्यक्तियों से जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी *अपने ग्राहक को जानिए* संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्त पर होगी।

यह भी कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपनी ऑफशोर बैंकिंग यूनिटों के संबंध में अपनी मांग और मीयादी देयताओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत निर्धारित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने से छूट दी गयी है।

भारतीय संयुक्त उद्यमों (जेवी) विदेश में पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) को ऋण सुविधाएं प्रदान करना

रिज़र्व बैंक ने अब बैंकों को भारतीय संयुक्त उद्यमों/विदेश में पूर्णत:स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं को ऋण/गैर-ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकतम सीमा को संशोधित करते हुए उसे टियर-I की अक्षत पूंजी के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर बैंकों की अक्षत पूंजीगत निधि (टियर I और टियर II की पूंजी) के 10 प्रतिशत तक करने की अनुमति दी है। अलबत्ता, ऐसी सुविधाओं के लिए रिज़र्व बैंक के जनवरी 1999 के परिपत्र में निर्धारित शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) केवल उन्हीं संयुक्त उद्यमों को ऋण प्रदान किया जायेगा जहां भारतीय कंपनी के पास धारित राशि 51 प्रतिशत से अधिक होगी।

(ii) इस प्रकार के सीमा पार को उधार से उत्पन्न ऋण और ब्याज दर जोखिम के प्रबंध के लिए समुचित प्रणालियां लागू हों।

(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 25 का अनुपालन किया जाता हो।

(iv) इस प्रकार के उधार के लिए संसाधन का आधार एफसीएनआर (बी), ईईएफसी, आरएफसी जैसे विदेशी मुद्रा खातों में धारित निधियां होनी चाहिए, जिनके बारे में बैंकों को विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंध करना पड़ता हो।

(v) इस प्रकार के लेनदेनों से उत्पन्न अधिकांश आस्तियों और देयताओं के असंतुलन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित समग्र अंतर सीमाओं के भीतर होते हों।

(vi) घरेलू ऋण/गैर-ऋण लेनदेनों पर लागू पूंजी पर्याप्तता, लेनदेन मानदंडों इत्यादि से संबंधित वर्तमान संरक्षणों/विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता हो।

इसके अतिरिक्त, ऐसी ऋण/गैर-ऋण सुविधा के लिए ऋण नीति में निम्नलिखित बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए:

(क) इस प्रकार के ऋण की स्वीकृति, परियोजना को समर्थन देनेवाले प्रवर्तकों की सिर्फ ख्याति पर ही नहीं, बल्कि परियोजना के समुचित मूल्यांकन और वाणिज्यिक अर्थक्षमता पर आधारित होती है। गैर-निधिक सुविधाओं की छानबीन उसी सख्ती से की जानी चाहिए जैसी कि निधि पर आधारित सीमाओं के बारे में की जाती है।

(ख) उन देशों में जहां संयुक्त उद्यम/पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थित हों वहां विदेशी मुद्रा ऋण इत्यादि प्राप्त करने या प्रत्यावर्तन के लिए इन कंपनियों पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होना चाहिए और अनिवासी बैंकों को विदेशी प्रतिभूतियां/आस्तियों पर कानूनी प्रभार लेने की अनुमति और आवश्यकता पड़ने पर उनके निष्पादन का भी अधिकार दिया जाना चाहिए।

विदेशी मुद्रा

अस्थायी विदेशी मुद्रा खाते

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात के अधिकार दिये हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, कान्फरेन्सों, कन्वेन्शनों आदि के आयोजना के लिए आयोजकों द्वारा अस्थायी विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसे आयोजक, जिन्होंने

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24
29 अप्रैल तथा 30 अप्रैल 2003 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित
Regd. No. TECH/47-290/MBI-2003-05

भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से संगत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्वानुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया है, अस्थायी विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति के अपने अनुरोधों के साथ प्राधिकृत व्यापारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

सुविधाएं

जमा लिखनाः खाते में राशियां जमा करना विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा देय, कॉन्फरेन्स, कन्वेन्शन आदि के संबंध में, पंजीकरण शुल्क, अनुदान, प्रायोजन शुल्क और विदेश से विदेशी मुद्रा में प्राप्त दान, के रूप में समस्त आवक प्रेषणों तक सीमित रहेंगे।

नामे की सुविधा की निम्नलिखित के लिए अनुमति होगीः

(क) आयोजकों के विशिष्ट आमंत्रण पर कॉन्फरेन्स, आदि में भाग लेने के लिए विदेश/विशेष आमंत्रितों को यात्रा हॉटेल प्रभार आदि का भुगतान, और विदेश अतिथि वक्ताओं को मानदेय।

(ख) विदेश प्रतिनिधियों को पंजीकरण शुल्क और प्रायोजन/अनुदान शुल्क की बची हुई राशि, यदि कोई हो, की वापसी के लिए प्रेषण।

(ग) बैंक प्रभार, यदि कोई हो।

(घ) निधियों का रुपये में परिवर्तन

अन्य सभी जमा/नामे लिखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा। कॉन्फरेन्स/कार्यक्रम की समाप्ति के तुरन्त बाद खाता बन्द कर दिया जाना चाहिए।

इससे पूर्व रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, कॉन्फरेन्सों, कन्वेन्शनों आदि के आयोजन के लिए आयोजकों द्वारा अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने के अनुरोधों पर विचार करता था। ये खाते प्रतिनिधियों से प्राप्त शुल्क और विदेश से आनेवाले आमंत्रितों के खर्चे आदि समेत भुगतानों के लिए परिचालित किए जाते हैं। ऐसे आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने के विचार से रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को इस कार्य को करने के अधिकार दे दिये जायें।

विशेष आर्थिक अंचलों (एसईज़ेड) की इकाइयों को सुविधाएं

विशेष आर्थिक अंचलों (एसईज़ेड) में स्थित इकाइयों को निम्नलिखित सुविधाएं देने का निर्णय किया गया हैः

निर्यात आय की वसूली

अब विशेष आर्थिक अंचलों की इकाइयों को निर्यात मूल्य की वसूली के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं होगी। इससे पूर्व, विशेष आर्थिक अंचलों में स्थित इकाइयों को माल अथवा साफ्टवेअर के पूर्ण मूल्य की वसूली और भारत में उनके प्रत्यावर्तन के लिए निर्यात की तारीख से बारह महीने की अवधि की अनुमति थी।

विदेश में किये गये कार्य

अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के समावर्तनों के लिए विशेष आर्थिक अंचलों की इकाइयों को विदेश में किये गये कार्य करने और उस देश से माल निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई हैः

(i) प्रसंस्करण/विनिर्माण प्रभार को निर्यात कीमत में उपयुक्त ढंग से शामिल किया जाए और वह अंतिम क्रेता द्वारा वहन किया जाए।

(ii) सामान्य जीआर प्रक्रिया के अधीन निर्यातक द्वारा पूर्ण निर्धारित मूल्य की वसूली के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गयी है।

कीमती धातुओं में भुगतान प्राप्त करना

विशेष आर्थिक अंचलों की मणि तथा आभूषण इकाइयां और निर्यातोन्मुखी इकाइयां अब निर्यात भुगतान, कीमती धातुओं के रूप में अर्थात् निर्यात किए गए स्वर्णाभूषणों के मूल्य के बराबर सोना/चांदी/प्लैटिनम के रूप में प्राप्त कर सकती हैं बशर्ते बिक्री संविदा में उसका प्रावधान किया गया है और कीमती धातुओं के अनुमानित मूल्य का उल्लेख संबंधित जीआर/एसडीएफ/पीपी फार्मों में किया गया है।

निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतान के साथ समायोजन (नेटिंग ऑफ)

विशेष आर्थिक अंचल अब निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतानों के साथ समायोजन कर सकते हैं। अलबत्ता, इस तरह के समायोजन (नेटिंग ऑफ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही होगीः

(i) आयात भुगतानों के बदले निर्यात प्राप्तियों के समायोजन उसी भारतीय इकाई और समुद्रपारीय क्रेता/आपूर्तिकर्ता (द्विपक्षीय समायोजन) के लिए हो। समायोजन विशेष आर्थिक अंचल की इकाइयों के तुलनपत्र की तारीख को किया जाए।

(ii) निर्यात किए गए माल के विवरण जीआर(ओ) फार्मों/डीटीआर, जैसा भी मामला हो, में दिये जायें, जबकि आयात किए गए माल/सुविधाओं के विवरण फार्म ए1/ए2, जैसा भी मामला हो, में दर्ज किये जायें। संबंधित जीआर/एसडीआर फार्मों को प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा पूर्ण किया गया तभी माना जाएगा जबकि संपूर्ण आय का समायोजन किया गया हो/संपूर्ण आय प्राप्त की गई हो।

(iii) बिक्री और खरीदी दोनों के लेनदेन की एफईटी-ईआरएस के अंतर्गत आर विवरणी में अलग-अलग रिपोर्ट की जाए।

(iv) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू देशों) के साथ किए गए निर्यात/आयात लेनदेनों को इस व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।

(v) सभी संगत दस्तावेज़ संबंधित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किए जाएं जोकि लेनदेन से संबंधित सभी विनियमित अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

आयात देय राशियों का पूंजीकरण

विशेष आर्थिक अंचलों की इकाइयों को अब पूंजी माल के आयात के बदले अनिवासियों को ईक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति दी गई है, बशर्तेः

(क) उसका मूल्यांकन विकास कमिश्नर और उपयुक्त सीमा शुल्क करों की समिति द्वारा सत्यापित किया जाता है।

(ख) उक्त तरीके से ईक्विटी जारी करनेवाली विदेश क्षेत्र की इकाइयां जारी किए शेयरों के ब्यौरों की रिपोर्ट **एफसी-जीपीआर** फार्म में रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मूल्यांकन प्रमाण पत्र की प्रति के साथ प्रस्तुत करें जिसके कार्यक्षेत्र में वे स्थित हैं। रिपोर्ट की एक प्रति औद्योगिक नीति और समावर्तन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 001 को भेजी जाए।

निर्यात ऋण

31 मार्च 2003 को निर्यात आयात नीति में यह घोषणा किये जाने के बाद कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से विशेष निर्यात अंचल (एसईज़ेड) में जाने वाले सामान और सेवाएं निर्यातों के रूप में मानी जायेंगी, रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से विशेष निर्यात अंचल (एसईज़ेड) में जाने वाले सामान और सेवाओं की आपूर्ति निर्यात ऋण सुविधाओं के लिए पात्र होंगी।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियों पर प्रतिफल की दर

प्रतिफल की वह न्यूनतम दर जो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को अपने जमाकर्ताओं को अदा करने की ज़रूरत होती है, संशोधित की गयी है। प्रतिफल की न्यूनतम वर्तमान तथा संशोधित दरें इस प्रकार हैं :

जमा योजना का प्रकार	वर्तमान दर	संशोधित दर
दैनिक जमा योजनाएं	4 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं	3.5 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं
एकमुश्त प्राप्त अथवा मासिक या दीर्घ अंतरालों पर प्राप्त जमाराशियां	6 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं	5 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं

बाज़ार स्थितियों तथा पूरी वित्तीय प्रणाली में ब्याज दरों में परिवर्तनों को देखते हुए दरें संशोधित की गयी है। संशोधित दरें अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियों द्वारा पहली अप्रैल 2003 को या से स्वीकार की जानेवाली/नवीकृत जमाराशियों पर लागू होंगी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **प्रिंटराइट,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।**